



## विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति

**उद्देश्य-** इस योजना के अन्तर्गत स्कूल तथा कॉलेज में पढनेवाले विकलांग छात्र-छात्राओं को अपना शैक्षणिक कार्य पूरा करने हेतु सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान करना।

### **कार्य-**

छात्रवृत्ति प्रदान करने की दर निम्न प्रकार से है-

- I. कक्षा 1 के 8 तक सरकारी विद्यालयों पढनेवाले छात्र - 50 रू0 प्रति छात्र प्रतिमाह
- II. कक्षा 9 से स्नातक तक सरकारी विद्यालयों@कॉलेजों में पढनेवाले छात्र- 250 रू0 प्रतिमाह
- III. कक्षा स्नातक स्तर से ऊपर स्नातकोत्तर हेतु सरकारी कॉलेजों में पढनेवाले छात्र- 260 रू0 प्रति छात्र प्रतिमाह
- IV. सरकारी आवासीय विद्यालयों में पढनेवाले कक्षा 1 से 8 तक के (आवासीय) छात्र- 100 रू. प्रति छात्र प्रतिमाह।

**कार्यान्वयन** - जिलों को प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराई जानेवाली राशि से अर्हताधारी छात्र-छात्राओं के बीच राशि का वितरण।

**चयन की प्रक्रिया-** शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर लाभान्वितों का चयन किया जाता है।